(1)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)

म.प्र. शासन के आदेशानुसार छात्रवृत्ति हेतु आवश्यक एवं शर्ते

प्रवेश सत्र 2016–17 दिनांकः– 24–08–2016

छात्रवृति का नाम	पात्रता	छात्रवृति	वर्ग	आय सीमा	अंतिम तिथि
गॉव की बेटी योजना	12 वी कक्षा 2016 में, गॉव में रहकर गॉव की पाठशाला से उत्तीर्ण हो	5000/– प्रतिवर्ष	कोई जाति बंधन नहीं	आय सीमा का कोई बंधन नहीं	20 सितंबर 2016
प्रतिभा किरण योजना	12 वी कक्षा 2016 में, शहर में रहकर शहर की पाठशाला से उत्तीर्ण हो	5000/– प्रतिवर्ष	कोई जाति बंधन नहीं	गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का प्रमाण पत्र	20 सितंबर 2016
विक्रमादित्य योजना	12वी 2016 में उत्तीर्ण हो न्यूनतम अंक 60%	2500/– प्रतिवर्ष	केवल सामान्य वर्ग के छात्रों हेतु	54,000/– से अधिक न हो	20 सितंबर 2016
छात्रा आवागमन योजना	12वी 2016 में उत्तीर्ण हो, स्ववित्त (उच्च तकनीकि की छात्राएं पात्र नहीं)	नियमानुसार	कोई जाति बंधन नहीं	राशनकार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ड्राईविंग लाइसेंस अनिवार्य	20 सितंबर 2016
निःशक्त जन हेतु छात्रवृत्ति	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विकलांगता का प्रमाण पत्र	नियमानुसार	कोई जाति बंधन नहीं	नियमानुसार	20 सितंबर 2016

विद्यार्थी का स्वयं के नाम से भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में खाता होना तथा खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है।

1. विद्यार्थी एक समय में एक ही प्रकार की छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने के पात्र होगें।
2. उक्त छात्रवृत्तियों हेतु आवेदन फार्म, विस्तृत नियम एवं जानकारी महाविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। (www.collegeholkar.org)
3. आवेदन पत्र के साथ निम्नानुसार प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न करें :–
   फीस की रसीद या चालान, बैंक खाता की पास बुक, अंकसूची एवं अन्य निर्धारित प्रमाणपत्र।
4. जिन छात्र–छात्राओं ने गत वर्ष उक्त में से कोई एक छात्रवृत्ति प्राप्त की है उन्हें नियमानुसार नवीनीकरण हेतु आवेदन कराना होगा।

प्राचार्य

प्राचार्य
शासकीय आदर्श होल्कर विज्ञान
महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)

आवेदन पत्र सत्र 2016 – 17

गॉव की बेटी योजना हेतु आवेदन पत्र।

(केवल स्नातक प्रथम वर्ष के लिये)

01- छात्रा का नाम : ....

Name of Student in English : ....

02- छात्रा के पिता नाम : ....

03- मूल निवास का स्थाई पता : ....

....

04- वर्तमान पता : ....

....

05- जाति :

Gen	SC	ST	OBC

05- कक्षा 12 वी. उत्तीर्ण करने का वर्ष : 2016

05- कक्षा 12 वी. का रोल न. : ....

06- कक्षा 12 वी. उत्तीर्ण की जानकारी : प्राप्तांक .... पूर्णांक ....%

07- ग्राम का नाम.. जनपद का नाम......................................

ब्लाक .... जिला...

12- प्रवेश का दिनांक : ..../......../2016

13- कक्षा सेमेस्टर - B.Sc. I सेक्शन ....

14- मोबाईल न. : ....

15- अन्य मोबाईल न. : ....

16- बैंक खाता न. : ....

17- बैंक /ब्रांच का नाम : State Bank of India / ....

18- IFSC code : ....

स्थान :

दिनांक : छात्रा के हस्ताक्षर

(3)

प्रपत्र – 1

फोटो

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल
गाँव की बेटी योजना–आवेदन प्रारूप

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत जिला...................................
मध्यप्रदेश।

निवास परिचय–

1 छात्रा का नाम..

2 पिता का नाम — माता का नाम

3 जन्म तिथि — जन्म स्थान

4 स्थायी पता (गाँव का पता)
तहसील
थाना
जिला

5 जाति............................. — सा./पिछड़ा/अनुजाति/जनजाति

6 शैक्षणिक परिचय

7 स्कूल/संस्था का नाम

उत्तीर्ण करने वर्ष	कक्षा	अनुक्रमांक	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत	विषय
	10 वीं					
	12 वीं					

घोषणा

मैं घोषणा करती हूँ कि उक्त जानकारी मेरे द्वारा भरी गई है जो सत्य है।

हस्ताक्षर (छात्रा) — हस्ताक्षर
(छात्रा के पिता/पति का पूरा नाम)

रसीद

कार्यालय, जनपद पंचायत ..../जिला..................................

कुमारी/श्रीमती...पिता/पति श्री ....

. का पूर्ण आवेदन पत्र ....दिनांक को प्राप्त किया।

हस्ताक्षर पदमुद्रा
कार्यपालन अधिकारी

प्रपत्र – 2

गाँव की बेटी योजना हेतु

....................................ग्राम सरपंच का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी / श्रीमती...

पिता / पति श्री ....ग्राम..

विकास खण्ड...तहसील...

जिला...के निवासी है तथा विगत ....वर्षों से गांव

में निवास कर रहे हैं।

हस्ताक्षर पदमुद्रा
पंचायत सचिव सरपंच

प्रपत्र – 3

गाँव की बेटी योजना हेतु शाला प्रमुख का प्रमाण–पत्र

.....................................ग्राम सरपंच का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी / श्रीमती...

पिता / पति श्री ....इस विद्यालय में वर्ष................................से नियमित छात्रा के रूप में अध्ययन कर रही है, तथा अभिलेखों के अनुसार इन्होनें 12 वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है

स्थान :..............................

दिनांक :..............................

प्राचार्य के
हस्ताक्षर / पदमुदा
सहित

⑥

प्रपत्र – 4

चयनित गाँव की बेटी का प्रमाण–पत्र

फोटो

प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी/श्रीमती.. पिता/पति..इस ग्राम...................................... विकास खण्ड ....तहसील.. जिला..के अंतर्गत 12 वीं परीक्षा वर्ष..................................में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है, इन्हें स्कूल की चयन समिति द्वारा गाँव की बेटी के रूप में चयन किया गया है। इन्हें गाँव की बेटी के रूप में चयनित किया गया है। इन्हें गाँव की बेटी नियम, 2007 की कंडिका–1.6 एवं 2.4 के अनुसार इस योजना का लाभ पाने की पात्रता होगी।

स्थान................
दिनांक.........

हस्ताक्षर/पदमुदा सहित
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत......

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक– F–19–7/07/2–अड़तीस भोपाल, दिनांक : 30.08.2007

प्रति,

1. प्रमुख सचिव/सचिव,
   मध्यप्रदेश शासन, महिला बाल विकास/वित्त/स्कूल शिक्षा विभाग/
   अनुसूचित जाति/जनजाति/तकनीकी शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग
   मंत्रालय, भोपाल म प्र
2. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
3. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।

विषयः– गाँव की बेटी योजना
संदर्भ – पत्र क्रमांक एफ–19–7/05/2–अड़तीस दिनांक 07.10.05

***

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गाँव की मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के लिये "गाँव की बेटी योजना" के संबंध में एतद् द्वारा **गाँव की बेटी योजना नियम, 2007** बनाये जाते हैं।

1. **योजना हेतु – पात्रता एवं मापदण्ड**

1.1 यह योजना पूरे मध्यप्रदेश में लागू होगी।

1.2 छात्रा को गांव का निवासी होना चाहिए एवं 12वीं कक्षा गांव में रहकर गाँव की पाठशाला से उत्तीर्ण होना चाहिए।

1.3 योजना शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं, अनुदान प्राप्त अशासकीय शैक्षणिक संस्थाऐं जिनकी फीस शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं के अनुसार हों तथा विश्वविद्यालयों में लागू होगी।

1.4 सभी शर्तें पूर्ण करने पर नवोदय विद्यालयों से पढ़कर बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं पर भी यह योजना लागू होगी।

1.5 नगरीय अथवा शहरी क्षेत्रों की निवासी एवं उन क्षेत्रों के विद्यालयों से बारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली छात्राएं इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने की पात्र नहीं होंगी।

1.6 प्रत्येक गांव से प्रतिवर्ष प्रथम श्रेणी में 12वी परीक्षा उत्तीर्ण समस्त बालिकाओं का चयन किया जाएगा, अतः प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण बालिका ने उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा या चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा संचालित पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया होगा उसे ही इस योजना का लाभ पाने की पात्रता होगी।

1.7 योजना में पात्रता हेतु जाति तथा आय का बंधन नहीं होगा।

1.8 ग्रामीण क्षेत्र की परिभाषा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। केवल इस योजना के लिये नगर पंचायतों को ग्रामीण क्षेत्र के अंदर माना जायेगा।

1.9 छात्रा जिस सत्र में कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करती है उसी सत्र में उसे उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश लेना होगा।

1.10 यदि छात्रा 12वीं की कक्षा में पूरक से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होती है तो भी वह इस योजना के लिये पात्र होगी।

1.11 छात्रा शासन द्वारा प्रदाय छात्रवृत्तियों में एक समय में एक ही छात्रवृत्ति का लाभ ले सकती है।

1.12 स्नातक स्तर पर छात्रा का निरंतर अध्ययनरत होना आवश्यक है। उदाहरण के लिये – यदि छात्रा 2007 में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करती है तो आगामी वर्ष में निरन्तरता से स्नातक शिक्षा पूर्ण करना आवश्यक है ।

1.13 छात्रा द्वारा योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु दिया गया प्रमाण पत्र यदि गलत या असत्य पाया जाता है तो प्रदाय की गई छात्रवृत्ति की वसूली कर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्राचार्य स्तर पर की जावेगी ।

1.14 अशासकीय महाविद्यालय (क्र 1.3 अनुसार) में अध्ययनरत छात्राओं के इस योजना से लाभान्वित होने पर उच्च शिक्षा के अधीनस्थ संबंधित शासकीय अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा छात्रवृत्ति वितरित करने की कार्यवाही की जावेगी ।

1.15 शैक्षणिक सत्र के **माह सितंबर की** 30 तारीख तक छात्रा का आवेदन पत्र प्राप्त होना आवश्यक है । उक्त दिनांक के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा ।

2. चयन प्रक्रिया

2.1 सर्व प्रथम गाँव की प्रत्येक शाला प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण छात्राओं की एक सूची तैयार करेगी जिसमें छात्रा का नाम, पिता का नाम, शाला का नाम, प्राप्तांक एवं पूर्णांक तथा प्रतिशत अंकित होंगे।

2.2 इस मैरिट सूची को संबंधित गाँव की पाठशाला के प्राचार्य द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को सौंपा जाएगा।

2.3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत स्तर पर एक चयन समिति गठित होगी जो निम्नानुसार होगी–

1.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	अध्यक्ष / संयोजक
2.	महिला एवं बाल विकास विभाग के एक प्रतिनिधि	सदस्य
3.	आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के एक प्रतिनिधि।	सदस्य
4.	उच्च शिक्षा विभाग के एक प्रतिनिधि	सदस्य
5.	संबंधित क्षेत्र के ब्लाक एजूकेशन अधिकारी	सदस्य

2.4 प्रथम श्रेणी सूची के आधार पर समिति गाँव की पाठशाला से छात्राओं को गाँव की बेटी का प्रमाण–पत्र जारी करेगी, जिसमें उनके प्राप्तांक, ग्राम, ब्लाक व जिले का उल्लेख होगा।

2.5 जनपद पंचायत स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा एक सादा समारोह प्रति वर्ष 15 अगस्त को आयोजित किया जायेगा, जिसमें जनपद के गणमान्य व्यक्ति एवं अन्य शासकीय अधिकारी उपस्थित होंगे। इसमें गाँव की बेटी निम्न लिखित शपथ लेगी कि –

"मै ....(नाम)..................................(पिता / पति).. (गाँव)..(तहसील)..................................एतद द्वारा शपथ लेती हूँ कि मै अपनी उच्च शिक्षा पूर्ण करूंगी तथा मेरी उच्च शिक्षा पूर्ण होनें के पश्चात जो भी कार्य करूंगी या समाज में जो भी स्थान ग्रहण करूंगी, उसके दौरान मैं अपने गाँव की अन्य बालिकाओं की शिक्षा के स्तर के उन्नयन एवं समाज में उनका स्थान बढ़ाने के लिए सतत प्रयासरत रहूँगी।"

2.6 सत्र 2007–08 हेतु आवेदन–पत्र प्राप्त होने की तिथि 30 सितम्बर तथा प्रमाण–पत्र जारी करने की तिथि 31 अक्टूबर तक रहेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा आवेदिका का आवेदन समय–सीमा में प्राप्त होने की स्थिति में प्रमाण–पत्र जारी करना सुनिश्चित करे व समय–सीमा में जारी न करने की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व संबधित अधिकारी का होगा।

2.7 समिति के समक्ष निम्न लिखित अभिलेख प्रस्तुत किए जाएंगे–

1. शाला के प्राचार्य द्वारा प्रथम श्रेणी प्राप्त छात्राओं की सूची।
2. गाँव की बेटी योजना के अंतर्गत प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु संबंधित छात्रा द्वारा आवेदन पत्र।
3. संबंधित छात्रा गाँव की निवासी है, इस संबंध में सरपंच का प्रमाण–पत्र।
4. प्रथम श्रेणी से परीक्षा उत्तीर्ण करने के संबंध में शाला प्रमुख का प्रमाण–पत्र।
5. जनपद पंचायत द्वारा जारी किये जाने वाला गाँव की बेटी का प्रमाण–पत्र।

नोट– उपरोक्त सभी अभिलेखों का नमूना संलग्न है।

3. गाँव की बेटी योजना के अंतर्गत लाभ एवं सुविधाएं–

3.1 गाँव की बेटी योजना के अंतर्गत चयनित छात्रा को उच्च शिक्षा (एवं इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय तकनीकी शिक्षा (एवं इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय), स्कूल शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में लाभ पाने की पात्रता होगी।

3.2 उपरोक्त कंडिका 3.1 में दर्शाए विभागों द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों (जिसमें छात्रा ने प्रवेश पाया है) के लिए निर्धारित शुल्क में छूट की पात्रता होगी। इसके लिए संबंधित विभाग अपने स्तर से संबंधित संस्थाओं को पृथक से निर्देश जारी करेंगे।

3.3 उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, आदिम जाति कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, महिला बाल विकास विभाग यह सुनिश्चित करेगें कि उनके व्दारा संचालित छात्रावासों में इस योजना के अंतर्गत चयनित छात्रा को निर्धारित किये गये शुल्क से छूट प्रदान की जाये, एवं यदि

संभव हो तो इस योजना के अंतर्गत चयनित छात्रा को छात्रावास में प्रवेश के लिए प्राथमिकता भी दी जाए।

3.4 छात्रा को प्रतिमाह रू. 500/--(पांच सौ रूपये) की दर से शैक्षणिक सत्र 10 माह के लिए रूपये 5000/–(पांच हजार रूपये) सालाना की आर्थिक मदद दी जाएगी।

3.5 योजना के अंतर्गत किराये के भवन में रहने पर किराये की पात्रता नहीं होगी।

4. **विवादों का निपटारा–**

गाँव की बेटी के चयन को लेकर विवाद की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के समक्ष चयन के 15 दिवस के भीतर अपील प्रस्तुत की जा सकेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत चयन के विरूद्ध प्राप्त अपील अपने अभिमत एवं संबंधित अभिलेखों के साथ आयुक्त, उच्च शिक्षा को निर्णय हेतु भेजेंगे। आयुक्त, उच्च शिक्षा का गाँव की बेटी के चयन के संबंध में निर्णय अंतिम होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

S Shrivastava

(स्नेहलता श्रीवास्तव) 30/8/07
प्रमुख सचिव,
म प्र शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक/F–19–7/07/2–अडतीस भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि:–

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
4. कुल सचिव, समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला/ब्लाक जनपद पंचायत म प्र।

30/8/07
उप सचिव,
म प्र शासन, उच्च शिक्षा विभाग

आवेदन पत्र सत्र 2016 – 17

विक्रमादित्य योजना अंतर्गत सामान्य वर्ग के निर्धन मेघावी छात्रों को निः शुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र।

(केवल स्नातक प्रथम वर्ष के लिये)

01- छात्र का नाम (हिन्दी में) : ....

Student Name In English ....

02- छात्र के पिता नाम : ....

03- मूल निवास का स्थाई पता : ....

....

04- वर्तमान पता : ....

....

05- कक्षा 12 वी. उत्तीर्ण करने का वर्ष : **2016**

कक्षा 12 वी. का रोल न.

06- कक्षा 12 वी. उत्तीर्ण की जानकारी : प्राप्तांक .... पूर्णांक .... %

07- महाविद्यालय का नाम : **शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र)**

08- संकाय का नाम एवं संकाय का विषय : ....

09- मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र : ....

10- वार्षिक आय (प्रमाण पत्र संलग्न करें) : ....

11- शिक्षण शुल्क की राशि अंको में ....(शब्दो में)..

12- प्रवेश का दिनांक : ..../......../2016

13- कक्षा **सेमेस्टर** - B.Sc. I **सेक्शन** ....

14- मोबाईल न. : ....

15- अन्य मोबाईल न. : ....

16- बैंक खाता न. : ....

17- बैंक /ब्रांच का नाम : State Bank of India / ....

18- IFSC code : ....

स्थान :

दिनांक : **छात्र के हस्ताक्षर**

संस्था प्रमुख का प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि श्री...

पिता ....इस महाविद्यालय में स्नातक ....प्रथम वर्ष में अध्ययनरत है इन्होंने हायर सेकेण्डी परीक्षा में 60 प्रतिशत से अधिक अंक अर्जित किये है तथा सक्षम अधिकारी द्वारा दिये गये आय प्रमाण पत्र के अनुसार इनके अभिभावक की वार्षिक आय 54000/— रूपये से कम है तथा इनसे कुल वार्षिक शिक्षण शुल्क रूपये ....जमा करा लिया गया है।

विक्रमादित्य योजना नवीनीकरण सत्र 2016-17

घोषणा पत्र

प्राचार्य,
शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय,
इन्दौर

01	विद्यार्थी का नाम				
02	पिता का नाम				
03	माता का नाम				
04	स्थायी पता				
05	वर्तमान /स्थानीय				
06	प्रवेश का दिनांक				
07	कक्षा	सेमेस्टर		सेक्शन	
08	मोबाईल न.				
09	अन्य मोबाईल न.				

शैक्षणिक परिचय

क्र.	परीक्षा	प्राप्तांक	पूर्णांक	विक्रमादित्य योजनान्तर्गत प्राप्त की	
				राशि	दिनांक
01	12 वीं				
02	प्रथम वर्ष				
03	द्वितीय वर्ष				
04	तृतीय वर्ष				

घोषणा

मैं घोषणा करती हूँ कि उक्त जानकारी मेरे द्वारा भरी गई है जो पूर्णतः सत्य है।

हस्ताक्षर (विद्यार्थी)

नोट घोषणा पत्र के साथ बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं उत्तीर्ण परीक्षा की अंकसूची की छायाप्रति लगाना अनिवार्य है।

प्रपत्र–PK1

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म.प्र.)

(गरीबी रेखा के नीचे प्रमाण–पत्र प्राप्त शहरी क्षेत्र से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्राओं हेतु)

प्रतिभा–किरण योजना

आवेदन–पत्र का प्रारुप

पासपोर्ट साइज़ का फोटा स्वप्रमाणित कर चसपा करे

प्राचार्य,
महाविद्यालय का नाम ....
स्थान .... (म.प्र.)

1 छात्रा का नाम ....

2 पिता का नाम ....

3 माता का नाम ....

4 जाति
1. अनु.जाति ☐ 3. अन्य पिछड़ा वर्ग ☐
2. अनु.ज.जाति ☐ 4. अनाराक्षित ☐

5 वर्तमान पता
मार्ग अथवा गली का नाम..
वार्ड क्रमांक..
तहसील .... जिला ....

6 6.1 स्थायी पता
मार्ग अथवा गली का नाम..
वार्ड क्रमांक..
तहसील ....जिला ....

6.2 नगरपालिका क्षेत्र का नाम तहसील ....जिला ....

7 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने की विस्तृत जानकारी
1. रोल नम्बर...
2. अध्ययनरत् शाला का नाम एवं स्थान
मार्ग अथवा गली का नाम ....
वार्ड क्रमांक ....
तहसील ....जिला ....
3. प्राप्तांक .... पूर्णाक................ श्रेणी........................

8 गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवार की विस्तृत जानकारी

8.1 जारी करने वाली शासकीय संस्था का नाम (✓ का निशान लगायें)	1. नगर पालिका	☐
	2. नगर निगम	☐
	3. नगरीय प्रशासन विभाग	☐
8.2 कार्ड क्रमांक	....	
8.3 जारी सूची में सरल क्रमांक	....	
8.4 प्रमाणित करने वाले नगरीय निकाय के अधिकारी के हस्ताक्षर नाम व पद नाम		

संलग्न प्रपत्र – (राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित छाया प्रति)

1. प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण छात्रा की अंक सूची ।
2. **प्रतिभा किरण योजना** के अंतर्गत '**गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार**' का प्रमाण–पत्र ।
3. संबंधित छात्रा का मूल–निवास प्रमाण–पत्र।

घोषणा–पत्र

मैं घोषणा करती हूँ कि उक्त जानकारी मेरे व्यक्तिगत ज्ञान एव विश्वास के आधार पर पूर्णतः सत्य है। यदि इस जानकारी में कोई त्रुटि या असत्य पाई जाती है तो इस योजना से मेरा आवेदन निरस्त माना जाए ।

....

अग्रेषित अभिभावक के हस्ताक्षर   **आवेदिका के हस्ताक्षर (छात्रा)**

नाम...

-------------------------------यहां से काटे-------------------------------

रसीद

(कार्यालय द्वारा भरा जावेगा)

कार्यालय प्राचार्य, ...**महवाद्यिालय,**...........................**जिला**...............................

कुमारी / श्रीमती...पिता / पति श्री ....

का **प्रतिभा किरण योजना** का पूर्ण आवेदन पत्र दिनांक ....को पत्र के साथ निम्न संलग्नक प्राप्त किये।

1. ☐ छात्रा की प्रमाणित अंक सूची ।
2. ☐ 'गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार' का नगरीय निकाय का प्रमाण–पत्र ।
3. ☐ संबंधित छात्रा का मूल–निवास प्रमाण–पत्र।

(जो उपलध न हो उसे स्पष्टतः अंकित किया जाये)

स्थान..............................जिला................................   हस्ताक्षर

दिनांक.........................   प्राप्तकर्ता

प्रतिभा किरण योजना

उद्देश्य– गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली शहर की मेधावी छात्राओं को बालिकाओं की शिक्षा का स्तर बढ़ाने एवं उच्च शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना ।

पात्रता –

1. गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नगरीय क्षेत्र निवासी परिवार से आने वाली 12 वी परीक्षा में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण छात्रा जिन्होने 12 वी कक्षा शहर में रहकर उत्तीर्ण की हो ।
2. जिस सत्र में 12 वी कक्षा उत्तीर्ण की हो उसी सत्र में उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश लेना आवश्यक होगा ।
3. स्नातक स्तर पर छात्रा का नियमित अध्ययनरत होना तथा निरंतरता से अगली कक्षा में प्रवेश लिया जाना आवश्यक होगा ।
4. 12 वी कक्षा के पश्चात शासकीय शैक्षणिक संस्थायें,अनुदान प्राप्त अशासकीय शैक्षणिक संस्थायें जिनकी फीस शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं के अनुसार होना आवश्यक है ।
5. छात्रा को उच्च शिक्षा,तकनीकी शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित स्नातक पाठयक्रम में प्रवेश लेना आवश्यक होगा ।

प्रकिया –

1. संबंधित छात्रा द्वारा प्रतिभा किरण योजना के अंतर्गत प्रारूप में आवेदन, नगर निगम/नगरपालिका द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापान प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण छात्रा की अंकसूची को महाविद्यालय के छात्रवृत्ति प्रभारी को समयावधि में देना होगा ।

लाभ

1. शिक्षण शुल्क में छूट की पात्रता ।
2. छात्रावास में प्रवेश में प्राथमिकता
3. छात्रावास शुल्क में छूट
4. पाठ्यक्रम हेतु छात्रा को प्रतिमाह 500 ₹ (अधिकतम 10 माह) वार्षिक । तकनीकी तथा चिकित्सा शिक्षा पाठयकम हेतु 750/– ₹ प्रतिमाह (अधिकतम 10 माह) प्रति शैक्षणिक सत्र वार्षिक ।